प्रश्न सं. [क्र. 366]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 366 परिशिष्ट "अ"

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं पर निम्न योजनायें संचालित है :-

1. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7 वीं और 8 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 200 रूपये तथा छात्राओं को 300 रूपये सालाना की छात्रृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

2. स्वामी विवेकांनद प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 300 रूपये तथा छात्राओं को 400 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

3. स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

शासकीय विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ग्यारहवीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 500 रूपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को 550 रूपये प्रतिवर्ष दी जाती है। छात्रवृत्ति की यह सुविधा सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवारों के छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

4. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना

उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले और छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन छात्रों को 500 रूपये प्रतिमाह और छात्राओं को 550 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है। शिष्यवृत्ति की यह सुविधा उन छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

5. डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

योजना के तहत प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय में सामान्य निर्धन छात्र एवं छात्रा को 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना के तहत शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेण्टल, आयुष, कृषि, वेटनरी,उद्यानिकी एवं वानिकी महाविंद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण योजना

विद्यार्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने तथा सामान्य निर्धन और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सुविधा के उद्देश्य से शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

8. वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकिल वितरण योजना

योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली ऐसी सभी बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें पढ़ाई के लिये अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाना पड़ता है। इससे छात्राओं के बीच भेदभाव समाप्त और सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

9. सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना

योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग–1 का एक पद स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाने से संस्कृत भाषा का अध्यापन सुगम हो जावेगा।

10. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

योजना के तहत दुग्ध संघों के माध्यम से मिल्क रूट्स पर 10 हजार महिलाओं को गाय दी जावेगी है। योजना में प्रत्येक महिला को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाने के साथ ही गायों की खुराक दवाईयों और उत्पादित दूध के विपणन की व्यवस्था भी की जाती है।

11. माँ सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

योजना के अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा गारंटी दिये जाने बजट प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

वार्षिक आय सीमा में वृद्धि

समेकित छात्रवृत्ति योजना अतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा में रू 54,000/– के स्थान पर रू. 1,00,000/– (एक लाख) की वृद्धि दिनांक 20.04.2016 से की गई।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन

परिशिष्ट - "ब"

विधान सभा 366 श्री देवेन्द्र पटैल

विषय :- सामान्य निर्धन वर्ग की योजनाये

सत्र	Department	Scheme	Total Registered Applications	Total Scholarship Amount sought in Registered Applications	Total Sanctioned Applications	Total Sanctioned Amount
2019-20	स्कूल शिक्षा विभाग	1.1 - सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना	4226	1086200	4219	1084500
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.2 - सुदामा प्री मैट्रिक योजना	2148	768100	2141	766000
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.3 - स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतित योजना	933	496650	932	496100
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.4 - सुदामा शिष्यावृत्ति योजना	3	15750	3	15750
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.6 - मृत/ अपंग सेवानिवृत शास.कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	68	3800	67	3750
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.7 - पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	219	84300	219	84300
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.8 - इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति	32	160000	32	160000
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.8 - इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति	32	160000	32	160000

2018-19	स्कूल शिक्षा विभाग	1.1 - सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना	4591	1171200	4541	1158600
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.2 - सुदामा प्री मैट्रिक योजना	2407	858200	2382	849600
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.3 - स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक छात्रवतित योजना	771	409400	747	396800
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.4 - सुदामा शिष्यावृत्ति योजना	0	0	0	0
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.6 - मृत/ अपंग सेवानिवृत शास.कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	97	5120	92	4870
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.7 - पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	362	137950	354	135050
	स्कूल शिक्षा विभाग	1.8 - इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति	0	0	0	0

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-रायसेन (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner